न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **245/2023**

उनवान

बलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा हाल परिवहन नगर खातीपुरा जयपुर – प्रार्थी

बनाम

1–3 जोगेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र चंचल सिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
4– भरत सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह राणावत निवासी उम्मेद सागर चौराहा मुखर्जी उद्यान के सामने शाहपुरा
5– जसवीर सिंह पुत्र रघुपाल सिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
6– गजेन्द्रदेव सिंह मुत्र मदन सिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
7– जयवर्द्धन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला कलिंजरी गेट शाहपुरा
8– विनय पुत्र विक्रम सुवालका निवासी कलिंजरी गेट दरवाजे के पास, शाहपुरा
9– जीवराज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
10– छोटू सिंह पुत्र स्वरूपसिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
11– राजपाल सिंह पुत्र स्वरूपसिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री योगेन्द्र सिंह भाटी**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **05/02/2024**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 108 रकबा 0.7370 है0, 111 रकबा 0.7550 है0, 112 रकबा 0.4950 है0, 21/222 रकबा 0.38 है0, 242/66 रकबा 0.0900 है0, 44 रकबा 1.2800 है0, 64 रकबा 0.7100 है0, 65 रकबा 0.7500 है0, 69 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 9** रकबा 6.2470 हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदारी काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 1 लगायत 6, **8 लगायत 11** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 7 के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थी** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का कादीसहना संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **सूरजपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात में से आराजी **नम्बर 21/222 रकबा 0.38 है0 किस्म गेमु. नाली होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 8 रकबा 5.8670 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 2300/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफरील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा